



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 15 जनवरी, 2013/25 पौष, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th January, 2013

No. HHC/GAZ/14-300/2008.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave *w.e.f.* 18-2-2013 to 2-3-2013 with permission to prefix Special Casual leave and Sunday falling *w.e.f.* 3-2-2013 to 17-2-2013 and to suffix Sunday falling on 3-3-2013 in favour of Shri Mohit Bansal, Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC, Chachiot at Gohar, District Mandi, H.P.

Certified that Shri Mohit Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after *expiry* of the above period of leave.

Also certified that Shri Mohit Bansal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chachiot at Gohar, District Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th January, 2013

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter-I of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC(I), Sunder Nagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Sunder Nagar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of Class-II, III, IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" with immediate effect till the posting of new incumbent there.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th January, 2013

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XIV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the power vested in him under Rule 2 (32) of Chapter-I of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-JMIC, Court No.1, Sunder Nagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chachiot at Gohar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of the Class-II, III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Mohit Bansal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chachiot at Gohar, H.P. *w.e.f.* 18-2-2013 to 2-3-2013 with permission to prefix special casual leave and Sunday falling *w.e.f.* 3-2-2013 to 17-2-2013 and to suffix Sunday falling on 3-3-2013 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th January, 2013

No. HC/GAZ/14-159/84-II.— Shri B.L.Soni, an officer of the cadre of District Judges/Additional District Judges, and presently posted as District and Sessions Judge(Forests), Shimla, shall stand retired from service on attaining the age of superannuation on and w.e.f. 31.1.2013 (afternoon).

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the January 10th, 2013

No. HHC/GAZ/14-52/74-VI.— In the interest of administration, Ms. Madhvi Singh, Shri Vishal Kaundal, Shri Nav Kamal, Ms. Shikha Thakur, Shri Vikas Gupta and Shri Anish Kumar, on their appointment as Civil Judges (Jr. Division) vide H.P. Government notification No. Home-B (B) 6-4/2006-VI-74 dated 22.12.2012, are detailed to undergo induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla with immediate effect till further orders and posted for the purpose of withdrawal of their salary etc. as under:—

1. Ms. Madhvi Singh as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate, Jubbal.
2. Shri Vishal Kaundal, as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate (I), Dharamshala.
3. Shri Nav Kamal as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate (II), Sundernagar.
4. Ms. Shikha Thakur as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate (II), Sarkaghat.
5. Shri Vikas Gupta, as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate, in the High Court of Himachal Pradesh against training reserve post.
6. Shri Anish Kumar as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate in the High Court of Himachal Pradesh against training reserve post.

By order of the Hon'ble,
High Court of Himachal Pradesh,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th January, 2013

No. HHC/GAZ/14-274/2004.—In exercise of the powers vesting in it under Article 235 of the Constitution of India and Rule 4(2) of the H.P.Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, Hon'ble the High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order the promotion and appointment of Shri Yajuvender Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Jogindernagar and Shri Hitender Kumar, Civil Judge (Junior Division), Barsar as Civil Judges (Senior Division) in the pay scale of Rs.39530-920-40450-1080-49090-1230-54010, purely on adhoc basis, from the date S/ Shri Yogesh Jaswal and Bahadur Singh relinquish the charge on their promotion as Presiding Officers Fast Track Courts. They will continue to work at their present places of posting.

By order,
Sd/-
Registrar General.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-51/2012-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 47) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 2 और 5(क) प्रथम अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

2. **धारा 4 का संशोधन.**— हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) में,—

(क) खण्ड (ग) में "4,00,000/—" अंको और चिन्हों के स्थान पर "5,00,000/—" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ङ) में "6,00,000/—" अंको और चिन्हों के स्थान पर "8,00,000/—" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

3. **धारा 11 का संशोधन.**— मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (16) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(16) यदि कोई व्यौहारी,—

(क) अपनी विवरणी में ऐसे आगत कर प्रत्यय का मिथ्या दावा करता है जिसका वह हकदार नहीं है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावे या प्रत्यय की रकम से दुगुनी राशि के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा ; और

(ख) अपनी विवरणियों में आगत कर प्रत्यय का गलत दावा करता है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावे या प्रत्यय की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरण:—

- (i) खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए "मिथ्या" से राजस्व हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के आशय से जानबूझकर किया गया अत्यधिक दावा अभिप्रेत है; और
- (ii) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए "गलत" से राजस्व हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करने के किसी आशय के बिना, अशुद्ध गणना के कारण अत्यधिक दावा अभिप्रेत है ।

4. **धारा 14 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (7) में "वह निर्धारण के लिए दायी है," शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु "के बराबर की रकम" शब्दों से पूर्व "प्रेषण के मूल्य के पचास प्रतिशत" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

5. **धारा 16 का संशोधन.**— मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

"(क) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (3क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, व्यौहारी के किसी वर्ग को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, आवर्त की ऐसी सीमा और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, विवरणी को दाखिल करने से छूट दे सकेगी तथा स्रोत पर की गई कर की कटौती, यदि कोई है, को कर का अन्तिम संदाय समझा जाएगा और व्यौहारी उस अवधि के लिए निर्धारण के लिए दायी नहीं होगा ;

(ख) उपधारा (6) में "विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए पच्चीस रूपए प्रतिदिन के बराबर की राशि दस दिन तक के लिए संदत्त करने के लिए दायी होगा और उसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहने तक शास्ति पचास रूपए

प्रतिदिन के हिसाब से होगी किन्तु ऐसी शास्ति तीन हजार रूपए से अधिक नहीं होगी " शब्दों के स्थान पर "दो सौ रूपए की राशि संदत्त करने के लिए दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे; और

- (ग) उपधारा (8) में "की दुगनी के बराबर की रकम" शब्दों के स्थान पर "की दुगनी तक रकम किन्तु जो ऐसे कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 21 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

- (क) उपधारा (7) में "बराबर की राशि" शब्दों के स्थान पर "दुगने तक की राशि किन्तु जो कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी" शब्द रखे जाएंगे; और
- (ख) उपधारा (9) में "उससे देय राशि से अधिक नहीं होगी" शब्दों के पश्चात् "किन्तु जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 33 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (3) में, "क्रय या विक्रय की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाता है" शब्दों के पश्चात् किन्तु ", तो आयुक्त या धारा 3" शब्दों और चिन्ह से पूर्व "या कारबार परिसर में लेखा बहियां नहीं पाई जाती हैं," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

8. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (12) में "या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है" शब्दों के पश्चात् किन्तु ", तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो," शब्दों और चिन्हों से पूर्व "या उन बिलों के अन्तर्गत वहन किए जाने के लिए तात्पर्यित प्रेषण के बिना बैरियर पर घोषणा के लिए बिल प्रस्तुत करता है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

9. धारा 50 का संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) में "दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, पचास रूपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "पांच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी, और जहां ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, दो सौ रूपए से अनधिक की दैनिक शास्ति से" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

10. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तिया.—(1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)

ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2(a) and 5(a) shall be deemed to have come into force on 1st day of April, 2012.

2. Amendment of section 4.— In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (6),—

- (a) in clause (c), for the figures and signs "4,00,000/-", the figures and signs "5,00,000/-" shall be substituted; and
- (b) in clause (e), for the figures and signs "6,00,000/-", the figures and signs "8,00,000/-" shall be substituted.

3. Amendment of section 11.— In section 11 of the principal Act, for sub-section (16), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(16) If a dealer,—

- (a) falsely claims Input Tax Credit in his returns to which he is not entitled, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to twice the amount of such claim or credit; and
- (b) claims incorrect Input Tax Credit in his returns, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to fifty per centum of the amount of such claim or credit.

Explanation:—(i) For the purpose of clause (a) "falsely" means excessive claim made deliberately with the intent to affect revenue interest adversely; and

(ii) For the purpose of clause (b) "incorrect" means excessive claim due to wrong calculation without any intension to affect revenue interest adversely.

4. Amendment of section 14.— In section 14 of the principal Act, in sub-section (7), for the words "the amount of tax evaded or attempted to be evaded", the words "fifty per centum of the value of consignment" shall be substituted.

5. Amendment of section 16.— In section 16 of the principal Act,—

(a) after sub-section (3), the following new sub-section (3a) shall be inserted, namely:—

“(3a) The State Government may, by notification, exempt any class of dealer from filing of return, subject to such restrictions and conditions, such limit of turnover and for such period, as may be prescribed, and tax, if any, deducted

at source, shall be deemed to be final payment of tax and such dealer shall not be liable to assessment for that period.”;

- (b) In sub-section (6), for the words, figures and signs “Rs. 25/- per day for delay in furnishing such return upto 10 days, where after the penalty shall be Rs. 50/- per day till the default continues but such penalty shall not exceed Rs.3000/-” the words, figures and signs “Rs. 200/-” shall be substituted.; and
- (c) In sub-section (8), for the words “equal to twice the amount of tax”, the words “upto twice the amount of tax but which shall not be less than one hundred percentum of such tax amount” shall be substituted.

6. Amendment of section 21.— In section 21 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (7), for the words “equal to the amount” the words “upto double the amount of tax assessed but which shall not be less than one hundred percentum of the amount of tax” shall be substituted.; and
- (b) in sub-section (9), after the words “sum due from him”, the words “but which shall not be less than one thousand rupees” shall be inserted.

7. Amendment of section 33.— In section 33 of the principal Act, in sub-section (3), after the words “sales or purchases”, the words “or the account books are not found at the business premises” shall be inserted.

8. Amendment of section 34.— In section 34 of the principal Act, in sub-section (12) after the words “or without genuine documents”, the words “or presents bills for declaration at the barrier without the consignment purported to be transported under those bills” shall be inserted.

9. Amendment of section 50.— In section 50 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs “not exceeding two thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding fifty rupees”, the words and signs “not exceeding five thousand rupees, and where such contravention or failure is continuing one, to a daily penalty not exceeding two hundred rupees” shall be substituted.

10. Repeal of Ordinance No. 3 of 2012 and savings.— (1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—50/2012—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 44)

को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास वस्तुएँ कर संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 14 जून, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **नई धारा 6-ड का अन्तः स्थापन.**—हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 (1979 का 15) की धारा 6-घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"6-ड. जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में नए होटलों के स्वत्वधारियों द्वारा विलास-वस्तु कर का संदाय करने से छूट की बाबत विशेष उपबन्ध.—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की यह राय है कि राज्य में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के आशय से ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह एक स्कीम अधिसूचित कर सकेगी तथा प्रथम अप्रैल, 2012 के पश्चात् जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रवर्तन में आए नए होटलों के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों को होटल के प्रवर्तन में आने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विलास-वस्तु कर का संदाय करने से, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अध्याधीन, जैसी उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी ।

(2) धारा 4 की उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नए होटलों का कोई भी स्वत्वधारी, उस अवधि, जिसमें उपधारा (1) के अधीन छूट प्रवर्तन में रहती है, के दौरान ऐसे नए होटलों में उपलब्ध करवाई गई विलास-वस्तु के लिए, विलास-वस्तु कर के रूप में किसी राशि का संग्रहण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

- (i) जिला लाहौल एवं स्पिति,
- (ii) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल,

- (iii) रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र,
 (iv) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट,
 (v) कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना,
 (vi) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल के बड़ा भंगाल के क्षेत्र,
 (vii) जिला किन्नौर,
 (viii) सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त; और
 (ix) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-हड़वानी, हस्तपुर, ग्रामचार और भटेनहर पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरु और दक्षिणी मगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।”।

3. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 2 का निरसन और व्यावृत्तियां—(1) हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास-वस्तुएँ कर संशोधन अध्यादेश, 2012 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 3 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of June, 2012.

2. Insertion of new of section 6-E.—After section 6-D of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, the following new section shall be inserted, namely:—

“6-E. *Special provisions relating to exemption from payment of luxury tax by proprietors of new hotels in tribal and hard areas.*— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if the

Government is of the opinion that in order to promote tribal and hard area tourism in the State, it is necessary and expedient, in the public interest so to do, it may notify a scheme, and exempt the registered proprietors of new hotels in tribal and hard areas come into operation after 1st April, 2012 from the payment of luxury tax for a period of ten years from the date the hotel commences operation, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) of section 4, no proprietor of such new hotels shall, during the period when the exemption under sub-section(1) remains in force, collect any sum by way of luxury tax for the luxury provided in such new hotels.

Explanation.—For the purpose of this section tribal and hard area means,-

- (i) District Lahaul and Spiti,
- (ii) Pangi and Bharmour Sub-division of Chamba District,
- (iii) Dodra Kwar Area of Rohru Sub-division,
- (iv) Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Kashapat Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla,
- (v) Pandrah Bis Pargana of Kullu District,
- (vi) Bara Bangal Areas of Baijnath Sub-division of Kangra.
- (vii) District Kinnaur,
- (viii) Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District, and
- (ix) Khanyol- Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada- Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Hadhwani, Hastpur, Ghamrchar and Bhatenhar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.”.

3. Repeal of Ordinance No. 2 of 2012 and savings.— (1) The Himachal Pradesh Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Amendment Ordinance, 2012 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल०एल०आर०—डी०(६)—४३/२०१२—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 33) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के० एस० चन्देल,
सचिव (विधि) ।

**इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन
अधिनियम, 2012**

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 22 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना ।” ।

3. **धारा 41 का संशोधनमूल.**—अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “विघटित कर देता है, तो” शब्दों और चिन्ह के पश्चात्, किन्तु “विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. **धारा 42 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में “विघटन की तारीख से” शब्दों के पश्चात्, किन्तु “विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 11 of 2013

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) SECOND AMENDMENT ACT, 2012**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 22nd day of October, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (1 of 2010) (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.”.

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words “all the assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words “all the assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—41 / 2012—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 41) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 10 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 10

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथा अनुमोदित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 4 नवम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।” ।

3. **धारा 41 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “विघटित कर देता है, तो” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु “विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. **धारा 42 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में “विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे” शब्दों के स्थान पर “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 10 of 2013

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
SECOND AMENDMENT ACT, 2012**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement .**—(1) This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.

2. **Amendment of section 3.**—In section 3 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (22 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:-

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.” .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words “assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words “assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body”, the words “assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-35/2012-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 45) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
4. निगमन ।
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।
6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना ।
7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना ।
8. विन्यास निधि ।
9. साधारण निधि ।
10. साधारण निधि का उपयोजन ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
12. कुलाधिपति ।
13. कुलपति ।
14. रजिस्ट्रार ।
15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी ।
16. अन्य अधिकारी ।
17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।
18. शासी निकाय ।
19. प्रबन्ध बोर्ड ।
20. विद्या परिषद् ।
21. अन्य प्राधिकरण ।
22. निरर्हताएं ।
23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।
25. समितियां ।
26. प्रथम परिनियम ।
27. पश्चात्वर्ती परिनियम ।
28. प्रथम अध्यादेश ।
29. पश्चात्वर्ती अध्यादेश ।
30. विनियम ।
31. प्रवेश ।
32. फीस संरचना ।
33. परीक्षाएं ।
34. परिणामों की घोषणा ।
35. दीक्षांत समारोह ।
36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।
37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण ।
38. वार्षिक रिपोर्ट ।
39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा ।
40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां ।
41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।
42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां ।
43. नियम बनाने की शक्ति ।
44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।
45. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 20.

ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

उच्चतर शिक्षा के लिए ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश की स्थापना, निगमन और विनियमन करने तथा इसके क्रियाकलापों का विनियमन करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 19 जून, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रबन्ध बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "परिसर (कैम्पस)" से विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें यह स्थापित है;

(ग) "दूरवर्ती शिक्षा" से संचार अर्थात् प्रसारण, टेलीकास्टिंग, पत्राचार पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्पर्क कार्यक्रमों और ऐसी ही किसी अन्य कार्यपद्धति के किन्हीं भी दो या दो से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा दी गई शिक्षा अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द हैं ;

(ङ) "फीस" से, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं अथवा अध्ययन केन्द्रों द्वारा छात्रों से, किसी भी प्रकार के नाम से किया गया धनीय संग्रहण, जो प्रतिदेय नहीं है, अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "शासी निकाय" से इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन गठित शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ज) "उच्चतर शिक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है;

(झ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों के छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में स्थापित या मान्यता प्राप्त निवास स्थान अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "परिसर बाह्य (ऑफ कैम्पस)" से विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर (कैम्पस) के बाहर स्थापित, उसकी घटक इकाई के रूप में प्रचालित और अनुरक्षित कोई केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें विश्वविद्यालय की सम्पूरक सुविधाएं, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) हो;

(ठ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "विनियमन निकाय" से उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक सन्नियम सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड और शर्तें अधिकथित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय औषधीय परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दूरवर्ती शिक्षा परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग आदि अभिप्रेत हैं, और इसके अन्तर्गत सरकार है;

- (ण) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (त) "प्रायोजक निकाय" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ए. पी. गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली-110092 और उप रजिस्ट्रार, शिमला (ग्रामीण), हिमाचल प्रदेश की रजिस्ट्रीकरण संख्या 85/2012 द्वारा रजिस्ट्रीकृत इसका समनुषंगी ट्रस्ट अभिप्रेत है ;
- (थ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (द) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ध) "छात्र" से अनुसंधान उपाधि सहित विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि के लिए, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (न) "अध्ययन केन्द्र" से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जो छात्रों को दूरवर्ती शिक्षा के सन्दर्भ में सलाह देने, परामर्श देने या उन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है;
- (प) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने या अनुसंधान में मार्गदर्शन करने या किसी भी अन्य रूप में मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित कोई आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है; और
- (फ) "विश्वविद्यालय" से ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय, गांव सरधीन (शोधी-मैहली बाईपास रोड़) डाकघर बेहुलिया, तहसील एवम् जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ; और
- (ब) "विनियामक आयोग" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

- (क) बौद्धिक योग्यताओं के उच्चतर स्तर सृजित करने के दृष्टिगत उच्चतर शिक्षा में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;
- (ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं स्थापित करना;
- (ग) अध्यापन और अनुसंधान को कार्यान्वित करना और सतत् शिक्षा कार्यक्रम प्रस्थापित करना;
- (घ) राज्य की आवश्यकताओं से सुसंगत अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान तथा इसके उपयोजन में सहभागी होने के लिए श्रेष्ठता के केन्द्रों का सृजन करना;
- (ङ) राज्य में परिसर (कैम्पस) स्थापित करना;

- (च) परीक्षा केन्द्र स्थापित करना;
- (छ) परीक्षा या ऐसी किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां संस्थित करना; ऐसा करते समय, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का स्तर उससे कम नहीं हो, जो विनियमन निकायों द्वारा अधिकथित किया गया है;
- (ज) लागू नियमों या विनियमों के अध्यक्षीन परिसर बाह्य केन्द्र (ऑफ कैम्पस सेन्टरज) स्थापित करना ;
- (झ) विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों में सुभिन्न योगदान, अर्थात् परम्परागत संस्थाओं द्वारा नेमीतः प्रस्थापित सामान्य प्रकृति के कार्यक्रमों, जो कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, दंत चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन इत्यादि में परम्परागत उपाधियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, से स्पष्टतया भिन्न शैक्षणिक विनियोजन करने के लिए सिद्ध योग्यता सहित विशेषज्ञता के क्षेत्रों में लगे रहना ;
- (ञ) सुदृढ़ अंतर विषयक अभिविन्यास और संयोजन सहित विभिन्न विषयों में विस्तृत आधारमुक्त और व्यवहार्य स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रम स्थापित करना; और
- (ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना ।

4. निगमन.—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति और प्रथम उप कुलपति तथा शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा ऐसे समस्त व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो सकेंगे, जब तक वे ऐसा पद धारण करते रहते हैं या सदस्य बने रहते हैं, मिलकर ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय और इसका मुख्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.—(1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसारण के लिए तथा शिक्षा के प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (ii) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति का प्रयोग करना;
- (iii) निवेश—बाह्य अध्यापन और प्रसार सेवाओं की व्यवस्था करना और जिम्मा लेना;
- (iv) किसी विधि के अधीन, किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता के अध्यक्षीन, यदि अपेक्षित हो, परीक्षाएं लेना और व्यक्तियों को डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र प्रदान करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदत्त करना और ऐसे किन्हीं डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को समुचित और पर्याप्त हेतुक होने पर वापिस लेना ;
- (v) अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य ऐसे पदों का, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर आवश्यक समझे, सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

- (vi) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;
- (vii)अध्येतावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (viii)हालों सहित छात्रावासों को स्थापित और अनुरक्षित करना; हालों सहित छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों और छात्रों के निवास के लिए अन्य आवास को मान्यता देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और नियन्त्रण करना तथा ऐसी दी गई मान्यता वापिस लेना;
- (ix) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना और उसे प्रवर्तित करना तथा ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;
- (x) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संप्रवर्तन (बढ़ावा देने) के लिए व्यवस्था करना;
- (xi) विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मानदण्ड अवधारित करना;
- (xii)किसी संस्था या उसके सदस्यों या छात्रों को, किसी भी प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विहित की जाएं, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापिस लेना;
- (xiii)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, दूरवर्ती शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केन्द्रों (सेन्टरज ऑफ एक्सीलेंस) के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना;
- (xiv)विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समरूप उद्देश्यों और प्रयोजनों वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगम या किसी सार्वजनिक निकाय के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसे करार पाए जाएं, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकार करना;
- (xv)विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अध्यधीन, अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति का किसी भी रीति में, जैसी आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना;
- (xvii)विश्वविद्यालय में किसी संस्था को निगमित करने और इसके अधिकारों, सम्पत्तियों और दायित्वों को ग्रहण करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम के विरुद्ध न हों, कोई करार करना;
- (xviii)ऐसी फीस और अन्य प्रभारों, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संदाय की मांग करना और प्राप्त करना;
- (xix)माता-पिता और छात्रों के सिवाय, दान तथा अनुदान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश के भीतर या बाहर न्यास या विन्यस्त सम्पत्ति सहित किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, अर्जित करना, धारित करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना और निधियों का ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में विनिधान करना;

- (xx) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं का उपबन्ध करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना, जैसी विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (xxi) अनुसंधान और अन्य कार्य, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तकें भी हैं, के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना;
- (xxii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए संस्थाओं और परीक्षाओं को मान्यता देना;
- (xxiii) ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों;
- (xxiv) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना;
- (xxv) देश के भीतर तथा बाहर, पारस्परिक आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ ड्यूल उपाधियां, डिप्लोमें या प्रमाण-पत्रों के लिए उपबन्ध करना;
- (xxvi) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करना;
- (xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना; और
- (xxviii) पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबन्धनों और शर्तों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग (कलैबोरेशन) करना ।

(2) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6. विश्वविद्यालय का स्व-वित्तपोषित होना.—विश्वविद्यालय स्व-वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार से कोई भी अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

7. सम्बद्धता की शक्ति का न होना.—विश्वविद्यालय को किसी भी अन्य संस्था के साथ सम्बद्धता की या अन्यथा अपने विशेषाधिकार में लाने की शक्ति नहीं होगी ।

8. विन्यास निधि.—(1) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के लिए पाँच करोड़ रुपए की रकम से एक विन्यास निधि स्थापित करेगा, जो सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, विन्यास निधि को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाएगा ।

(3) यदि विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार को, सम्पूर्ण विन्यास निधि या उसके भाग को विहित रीति में समपहृत करने की शक्ति होगी ।

(4) विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा, किन्तु इसका उपयोग विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति करने में नहीं किया जाएगा ।

(5) विन्यास निधि की रकम, किसी अधिसूचित बैंक में सावधि जमा लेखों के रूप में, इस शर्त के अधीन कि यह निधि राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना प्रत्याहृत नहीं की जाएगी, विश्वविद्यालय के विघटन तक, विनिहित रखी जाएगी।

9. साधारण निधि.—विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे साधारण निधि कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार;
- (ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अभिदाय;
- (ग) परामर्शी-सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय;
- (घ) वसीयतें, माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, विन्यास और अन्य कोई अनुदान; और
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां ।

10. साधारण निधि का उपयोजन.—साधारण निधि, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षण और अनुसंधान स्टाफ के सदस्यों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए तथा ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भविष्य निधि अभिदायों, उपदान और अन्य फायदों के संदाय के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत, दूरभाष आदि सहित, ली गई सेवाओं के लिए उपगत होने वाले व्ययों के लिए;
- (ग) करों या स्थानीय उद्ग्रहणों, जहां भी लागू हैं, के संदाय के लिए;
- (घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा उपगत ऋणों, जिसमें उनके ब्याज प्रभार सम्मिलित हैं, के संदाय के लिए;
- (च) शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् आदि के सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्तों के संदाय के लिए;
- (छ) यथास्थिति, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों या अनुसंधान सहकारियों या प्रशिक्षणार्थियों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के अधीन ऐसे पुरस्कार के लिए अन्यथा पात्र किसी भी छात्र को अध्येतावृत्तियों, फीस माफियों, छात्रवृत्तियों, सहायकवृत्तियों और अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए;
- (ज) इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन सृजित निधियों की लेखा-परीक्षा की लागत के संदाय के लिए;
- (झ) किसी वाद या कार्यवाहियों, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार है, के व्यय की पूर्ति के लिए;
- (ञ) जंगम (चल) और स्थावर (अचल) परिसम्पत्तियों के प्रयोजन के लिए;
- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(ठ) किसी अन्य व्यय के संदाय के लिए, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय होने के रूप में अनुमोदित हो:

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यय, वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, से अधिक, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उप-खण्ड (ड) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए साधारण निधि, शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से उपयोजित की जाएगी :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की आय और सम्पत्ति का कोई भाग, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः लाभांश, बोनस या अन्यथा किसी भी तरह लाभ के रूप में उन व्यक्तियों को, जो किसी समय विश्वविद्यालय के सदस्य थे या हैं या उनमें से किसी को या उनके माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को, संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात विश्वविद्यालय को प्रदान की गई किसी सेवा के प्रतिफलस्वरूप पारिश्रमिक का उसके किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को अथवा यात्रा या अन्य भत्तों तथा ऐसे अन्य प्रभारों के लिए सद्भावपूर्वक संदाय को निवारित नहीं करेगी ।

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) रजिस्ट्रार;
- (iv) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी; और
- (v) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

12. कुलाधिपति.—(1) कुलाधिपति, प्रायोजक निकाय द्वारा, राज्य सरकार के अनुमोदन से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, नियुक्त किया जाएगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(3) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठकों की तथा उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) कोई सूचना या अभिलेख मंगवाना;
- (ख) कुलपति को नियुक्त करना;
- (ग) इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना; और
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

13. कुलपति.—(1) कुलपति की नियुक्ति, शासी निकाय द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से, कुलाधिपति द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और वह उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यक्षीन तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, व्यक्ति, तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि कुलपति अपनी अवधि के अवसान के पश्चात् भी, नए कुलपति के पदग्रहण करने तक, पद धारित करता रहेगा, तथापि किसी भी दशा में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा उसका विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण होगा तथा वह विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा ।

(3) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(4) यदि, कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में, जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदत्त की गई हैं, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट, यथासंभव शीघ्र अवसर पर, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण को करेगा, जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में, ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी थी, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी विनिश्चय, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो वह सम्बद्ध प्राधिकरण से इसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसके विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का अनुरोध कर सकेगा और यदि प्राधिकरण, ऐसे विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या पन्द्रह दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(6) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) यदि, किसी भी समय किए गए किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक समझी जाए, स्थिति ऐसी हो और यदि कुलपति का बने रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारणों को कथित करते हुए, कुलपति को, ऐसी तारीख से, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

14. रजिस्ट्रार.—(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) रजिस्ट्रार शासी निकाय, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् का सदस्य—सचिव होगा, परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

15. मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी.—(1) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, कुलाधिपति द्वारा की जाएगी ।

(2) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

16. अन्य अधिकारी.—(1) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने उसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हों।

(2) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

17. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(i) शासी निकाय;

(ii) प्रबन्ध बोर्ड;

(iii) विद्या परिषद्; और

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

18. शासी निकाय.—(1) विश्वविद्यालय का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे;

(घ) विश्वविद्यालय के बाहर से, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रबंधन या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ;

(ङ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति; और

(च) राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य।

(2) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(3) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) सामान्य अधीक्षण और निदेशों का उपबन्ध करना और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों द्वारा यथा—उपबंधित ऐसी समस्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना;

(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना, यदि वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जब सभी प्रयासों के बावजूद भी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सुचारु रूप से चलना संभव नहीं रह जाए, तो विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को सिफारिश करना; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियां, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(4) शासी निकाय, एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ।

(5) शासी निकाय की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

19. प्रबन्ध बोर्ड.—(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति;

(ख) दो से अनधिक संकायाध्यक्ष (वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा);

(ग) विख्यात शिक्षाविदों में से या प्रबंधन क्षेत्र से प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विनियामक आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद् ;

(ङ) वरिष्ठता पर आधारित चक्रानुक्रम द्वारा शिक्षकों (आचार्यों, सह आचार्यों) में से दो व्यक्ति और

(च) रजिस्ट्रार सदस्य—सचिव होगा ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक कृत्यों का पालन करने हेतु प्रायोजक निकाय से पूर्ण स्वायत्तता सहित स्वतन्त्र होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) प्रबन्ध बोर्ड की प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(6) प्रबन्ध बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति पांच से होगी ।

20. विद्या परिषद्.—(1) विद्या परिषद् में कुलपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) कुलपति विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा ।

(3) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी, और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी ।

(4) विद्यापरिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी, जैसी परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

21. अन्य प्राधिकरण.—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों की संरचना, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

22. निरर्हताएं.—कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,—

- (क) विकृतचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित है; या
- (ख) अनुमोचित दिवालिया है; या
- (ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ; या
- (घ) निजी कोचिंग कक्षाएं संचालित कर रहा है या उसमें स्वयं लगा हुआ है; या
- (ङ) किसी परीक्षा का संचालन करने में किसी भी रूप में, कहीं पर भी अनुचित आचरण में लिप्त रहने या उसको बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया है ।

23. रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या निकाय का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, उसके गठन में मात्र किसी रिक्ति के या त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

24. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.—यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई आकस्मिक रिक्ति, सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण होती है, तो उसे उस व्यक्ति या निकाय द्वारा, जो उस सदस्य, जिसका पद रिक्त हुआ है, को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट करता है, यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का, उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिस के दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य होता ।

25. समितियां.—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी निर्देश के ऐसे निबंधनों सहित समितियां गठित कर सकेंगे, जो ऐसी समितियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक हों ।

(2) ऐसी समितियों का गठन और उनके कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

26. प्रथम परिनियम.—(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों जो समय-समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियाँ और कृत्य;
- (ख) कुलपति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य;
- (ग) रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ङ) कर्मचारियों, छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;
- (च) छात्रों को शिक्षा फीस (ट्यूशन फीस) के संदाय से छूट देने और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के संबन्ध में उपबंध;
- (छ) सीटों (स्थानों) के आरक्षण के विनियमन सहित, प्रवेश की नीति से संबन्धित उपबंध;
- (ज) छात्रों से प्रभारित की जाने वाली फीस से सम्बन्धित उपबंध; और

(झ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों (स्थानों) की संख्या से सम्बन्धित उपबंध ।

(2) प्रथम परिनियम, सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

27. पश्चात्पूर्वी परिनियम.—(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्याधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्पूर्वी परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का समापन या पुनः संरचना;

(ङ) पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(च) पदों का सृजन और पदों की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;

(छ) फीस का पुनरीक्षण;

(ज) विभिन्न पाठ्य विवरणों में सीटों (स्थानों) की संख्या का परिवर्तन; और

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं ।

(2) प्रथम परिनियम से भिन्न, विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

(3) प्रबन्ध बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस प्रकार बनाए गए परिनियमों का, इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में, संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु प्रबन्ध बोर्ड, तब तक विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले परिनियम नहीं बनाएगा या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त कोई राय, लिखित रूप में होगी तथा शासी निकाय द्वारा इस पर विचार किया जाएगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों का संशोधन या निरसन, सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगा :

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा कोई भी परिनियम, जो विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करते हों, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना नहीं बनाए जाएंगे ।

28. प्रथम अध्यादेश.—(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन, प्रबन्ध बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन से, ऐसे प्रथम अध्यादेश बना सकेगा, जिन्हें वह विश्वविद्यालय

के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित समझे और ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) उपाधियां, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएं तथा उनके प्रदान किए जाने और अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में साधन;
- (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटरज) की पदावधि और नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्यों सहित परीक्षाओं का संचालन;
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में उपबंध ;
- (झ) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और
- (ट) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है ।

(2) प्रबंध बोर्ड, या तो शासी निकाय के सुझाव को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को उपान्तरित करेगा या शासी निकाय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सम्मिलित न करने के कारण प्रस्तुत करेगा और ऐसे कारणों, यदि कोई हों, के साथ अध्यादेशों को शासी निकाय को वापिस भेजेगा और उनकी प्राप्ति पर शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियों पर विचार करेगा तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना, अनुमोदित करेगा और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

29. पश्चात्पूर्ती अध्यादेश.—(1) प्रथम अध्यादेशों से अन्यथा (भिन्न) समस्त अध्यादेश, विद्या परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे, जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् शासी निकाय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) विद्या परिषद्, प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करते हुए अध्यादेशों को या तो उपांतरित करेगी या दिए गए सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी और ऐसे कारणों सहित, यदि कोई हों, अध्यादेश को वापिस भेजेगी तथा प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय, विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों को ऐसे उपांतरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेंगे, और तत्पश्चात् शासी निकाय द्वारा यथा-अनुमोदित अध्यादेश प्रवृत्त होंगे ।

30. विनियम.—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन, उनके स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे ।

31. प्रवेश.—(1) विश्वविद्यालय में प्रवेश, सर्वथा योग्यता के आधार पर दिया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता (मैरिट) या तो प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और पाठ्यचर्या के साथ पाठ्येतर और क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समरूप पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य के किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी :

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा ।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें (स्थान), राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित की जाएंगी ।

(4) प्रत्येक कोर्स में प्रवेश के लिए कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें (स्थान), हिमाचल के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्पूर्वी वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यक्षीन होंगे, विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा ।

32. फीस संरचना.—(1) विश्वविद्यालय, समय-समय पर अपनी फीस संरचना को तैयार और पुनरीक्षित करेगा तथा इसे विनियामक आयोग द्वारा प्रदान पाठ्यक्रमों के अनुमोदन सहित प्रत्येक पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 31 दिसम्बर से पूर्व सरकार को इसके अनुमोदन के लिए भेजेगा तथा सरकार प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन मास के भीतर अनुमोदन सूचित करेगी :

परन्तु प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस संरचना का, प्रॉस्पेक्टस को जारी करने से पूर्व, विनिश्चय कर लिया जाएगा और इसे प्रॉस्पेक्टस में दर्शित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि शैक्षणिक वर्ष के दौरान फीस संरचना को पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई फीस संरचना पर, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में गठित की जाने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो इस पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी, कि क्या प्रस्तावित फीस:—

(क) निम्नलिखित के लिए:—

- (i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए ; और
- (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, स्त्रोत जुटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह फीस संरचना को अनुमोदित कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक विधिमान्य रहेगी ।

33. परीक्षाएं.—प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ पर और किसी भी दशा में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के 30 अगस्त तक, न कि उसके पश्चात् (अपश्चात्), विश्वविद्यालय स्वयं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाओं की अनुसूची, यथास्थिति, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर तैयार और प्रकाशित करेगा और ऐसी अनुसूची का कड़ाई से पालन करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से, यदि विश्वविद्यालय इस अनुसूची का पालन करने में असमर्थ है, तो वह यथासाध्य—शीघ्रता से, एक रिपोर्ट, जिसमें परीक्षा की प्रकाशित अनुसूची का अनुसरण न करने के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए उचित समझे ।

स्पष्टीकरण.—‘परीक्षाओं की अनुसूची’ से, प्रत्येक प्रश्न-पत्र जो परीक्षाओं की स्कीम का भाग हो, के प्रारम्भ होने का समय, दिन और तारीख के बारे में ब्यौरा देने वाली सारणी अभिप्रेत है और जिसमें व्यावहारिक परीक्षाओं का ब्यौरा भी सम्मिलित होगा ।

34. परिणामों की घोषणा.—(1) विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम की परीक्षा की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर करने का प्रयास करेगा और किसी भी दशा में उन्हें ऐसी तारीख से ज्यादा से ज्यादा पैंतालीस दिन के भीतर घोषित करेगा :

परन्तु किसी भी कारण से यदि विश्वविद्यालय पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर किसी भी परीक्षा के परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा करने में असमर्थ है, तो यह एक रिपोर्ट, जिसमें विलम्ब के ब्यौरेवार कारण दिए गए हों, विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा । विनियामक आयोग उस पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह भविष्य में बेहतर अनुपालना के लिए उचित समझे ।

(2) कोई भी परीक्षा या किसी परीक्षा का परिणाम, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि विश्वविद्यालय ने धारा 33 और इस धारा में यथा नियत परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है ।

35. दीक्षांत समारोह.—विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, परिनियमों द्वारा यथाविहित रीति में आयोजित किया जाएगा ।

36. विश्वविद्यालय का प्रत्यायन.—विश्वविद्यालय, समय-समय पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.), बंगलौर से प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा और सरकार तथा ऐसे अन्य विनियमन निकायों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों से संबद्ध हैं, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.)द्वारा विश्वविद्यालय को दिए ग्रेड के बारे में सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यायन को ऐसी अवधि के पश्चात्, जैसी विहित की जाए, नवीकृत करवाएगा ।

37. विश्वविद्यालय द्वारा विनियमन करने वाले निकायों के नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुसरण.—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, विनियमन निकायों के समस्त नियमों, विनियमों, सन्नियमों आदि का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निकायों को ऐसी समस्त सुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगा, जो उनके द्वारा कृत्यों के निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित हों ।

38. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा उसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी ।

39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.—(1) विश्वविद्यालय के तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी ।

(5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत विनियामक आयोग और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में विनियामक आयोग और सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

40. सरकार की विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की शक्तियां.—(1) अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के स्तर अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सरकार या विनियामक आयोग, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा यह उचित समझे, निर्धारण करवाएगा ।

(2) यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, शोधक कार्रवाई के लिए ऐसे निर्धारण के परिणाम के संबंध में अपनी सिफारिशें, विश्वविद्यालय को संसूचित करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे शोधक उपाय करेगा, जो सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) यदि विश्वविद्यालय उपधारा (2) में दी गई सिफारिशों का युक्तियुक्त समय में अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, सरकार या विनियामक आयोग, ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसे वह ऐसे अनुपालन के लिए समुचित समझे, जो विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे ।

41. प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन.—(1) प्रायोजक निकाय, सरकार और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को इस प्रभाव का कम से कम एक वर्ष का अग्रिम नोटिस देकर, विश्वविद्यालय का विघटन कर सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय का विघटन, नियमित पाठ्यक्रम वाले छात्रों के अंतिम बैच द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने और उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा ।

(2) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे :

परन्तु यदि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय को इसकी स्थापना के पच्चीस वर्ष के भीतर विघटित कर देता है, तो विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियां, विश्वविद्यालय से सम्बंधित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी ।

42. कतिपय परिस्थितियों में सरकार की विशेष शक्तियां.—(1) यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए किन्हीं परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध या कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह, विश्वविद्यालय को, पैंतालीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस जारी करेगी कि उसके समापन का आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) यदि सरकार का, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन का, या दिए गए परिवचनों का पालन न करने का या वित्तीय कुप्रबन्ध या कुप्रशासन का प्रथमदृष्टया मामला है, तो वह ऐसी जांच का आदेश करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, किसी भी अभिकथन की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए, जांच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी या अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) कोई ऐसा दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री, जो साक्ष्य में पोषणीय हो, का प्रकटीकरण और उसे पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(5) इस अधिनियम के अधीन जाँच कर रहे जाँच अधिकारी या अधिकारियों को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, या इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या दिए गए परिवचनों का पालन करना छोड़ दिया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंध और कुप्रशासन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को खतरा है, तो वह विश्वविद्यालय के समापन के आदेश करेगी और कोई प्रशासक नियुक्त करेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय तथा प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियां होंगी और वह इनके सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रशासन करेगा जब तक कि नियमित पाठ्यक्रम के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा न कर ले तथा उन्हें, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान न कर दिए जाएं।

(8) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैचों को, यथास्थिति, उपाधियां, डिप्लोमे या पुरस्कार प्रदान किए जाने के पश्चात् प्रशासक, इस प्रभाव की एक रिपोर्ट सरकार को देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विश्वविद्यालय विघटित हो जाएगा तथा विघटन की तारीख से विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी।

43. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 42 की उपधारा (4) के खण्ड (घ) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय; और (ख) अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं या किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

44. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

45. 2012 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) ए पी जी (अलख प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2012 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT
AND REGULATION ACT, 2012**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. The objects of the University.
4. Incorporation.
5. Powers and functions of the University.
6. University to be self-financed.
7. No power of affiliation.
8. Endowment Fund.
9. General Fund.
10. Application of General Fund.
11. Officers of the University.

12. The Chancellor.
13. The Vice-Chancellor.
14. The Registrar.
15. The Chief Finance and Accounts Officer.
16. Other officers.
17. Authorities of the University.
18. The Governing Body.
19. The Board of Management.
20. The Academic Council.
21. Other authorities.
22. Disqualifications.
23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.
24. Filling of casual vacancies.
25. Committees.
26. The first statutes.
27. The subsequent statutes.
28. The first ordinances.
29. The subsequent ordinances.
30. Regulations.
31. Admissions.
32. Fee structure.
33. Examinations.
34. Declaration of results.
35. Convocation.
36. Accreditation of the University.
37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.
38. Annual report.
39. Annual accounts and audit.
40. Powers of the Government to inspect the University.
41. Dissolution of the University by the sponsoring body.
42. Special powers of the Government in certain circumstances.
43. Power to make rules.
44. Power to remove difficulties.
45. Repeal of Ordinance No. 1 of 2012 and savings.

Act No. 20 of 2013

**THE APG (ALAKH PRAKASH GOYAL) SHIMLA UNIVERSITY ESTABLISHMENT
AND REGULATION ACT, 2012**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

to provide for establishment, incorporation and regulation of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Himachal Pradesh for higher education and to regulate its functioning and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 19th day of June, 2012.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Board of Management” means the Board of Management constituted under section 19 of this Act;
- (b) “campus” means the area of University within which it is established;
- (c) “distance education” means education imparted by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology;
- (d) “employee” means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (e) “fee” means monetary collection made by the University or its colleges, institutions or study centers, as the case may be, from the students by whatever name it may be called, which is not refundable;
- (f) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) “Governing Body” means the Governing Body constituted under section 18 of this Act;
- (h) “higher education” means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level;
- (i) “hostel” means a place of residence for the students of the University, or its colleges, institutions and study centers, established or recognized to be as such by the University;
- (j) “notification” means a notification published in the Official Gazette;
- (k) “off campus” means a centre of the University established by it outside the main campus operated and maintained as its constituent unit, having the University’s complement of facilities, faculty and staff;
- (l) “Official Gazette” means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (m) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (n) “regulating body” means a body established by the Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council of Technical Education,

National Council of Teacher Education, Medical Council of India, Pharmaceutical Council of India, National Council of Assessment and Accreditation, Indian Council of Agriculture Research, Distance Education Council, Council of Scientific and Industrial Research, the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission etc. and includes the Government;

- (o) “section” means a section of this Act;
- (p) “sponsoring body” means A.P. Goyal Charitable Trust, Delhi-110092, registered under the Indian Trust Act, 1882 and its Subsidiary Trust registered vide Registration No. 85/2012 by the Sub-Registrar, Shimla(Rural), Himachal Pradesh;
- (q) “State” means State of Himachal Pradesh;
- (r) “statutes”, “ordinances” and “regulations” mean respectively, the statutes, ordinances and regulations of the University made under this Act;
- (s) “student” means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction instituted by the University, including a research degree;
- (t) “study centre” means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education;
- (u) “teacher” means a Professor, Reader, Lecturer or any other person required to impart education or to guide research or to render guidance in any form to the students for pursuing a course of study of the University;
- (v) “University” means the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Village Sargeen(Shoghi-Mehli by-Pass Road) P.O. Behulia, Tehsil and District, Shimla, Himachal Pradesh ; and
- (w) “Regulatory Commission” means the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission, established under section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.

3. The objects of the University.—The objects of the University shall include,-

- (a) to provide instructions, teaching and training in higher education with a view to create higher levels of intellectual abilities;
- (b) to establish facilities for education and training;
- (c) to carry out teaching, research and offer continuing education programmes;
- (d) to create centres of excellence for research and development relevant to the needs of the State and for sharing knowledge and its application;

- (e) to establish campus in the State;
- (f) to establish examination centres;
- (g) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination or any such other method, while doing so, the University shall ensure that the standards of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are not lower than those laid down by the regulating bodies;
- (h) to set up off campus centres, subject to applicable rules or regulations;
- (i) to engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the University education system that is academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions;
- (j) to establish broad-based and viable under graduate, post graduate and research programmes in several disciplines with firm interdisciplinary orientation and linkages, and
- (k) to make the University functional within a period of one year from the date of commencement of this Act.

4. Incorporation.—(1) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Governing body, Board of Management and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University, Himachal Pradesh.

(2) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The University shall be situated and have its head- quarters at Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.

5. Powers and functions of the University.—(1) The University shall have the following powers and functions, namely: -

- (i) to provide for instructions in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for advancement and dissemination of knowledge and for extension of education;
- (ii) to conduct innovative experiments in modern methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;
- (iii) to organize and to undertake extra-mural teaching and extension services;
- (iv) to hold examinations and grant diplomas and certificates and confer degrees and other academic distinctions on persons, subject to recognition by any statutory body under any law, if required, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

-
- (v) to create such teaching, administrative and other posts as the University may deem necessary, from time to time, and make appointments thereto;
 - (vi) the sponsoring body/University shall appoint full time regular employees for the University and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;
 - (vii) to institute and award fellowships, studentships and prizes;
 - (viii) to establish and maintain hostel including halls; recognise guide, supervise and control hostels including halls not maintained by the University and other accommodation for the residence of the students, and to withdraw any such recognition ;
 - (ix) to regulate and enforce discipline among students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
 - (x) to make arrangements for promoting health and general welfare of the students and the employees of the University and Colleges;
 - (xi) to determine the criterion for admission in the University and its Colleges;
 - (xii) to recognize for any purpose, either in whole or in part, any institution or members or students thereof on such terms and conditions as may, from time to time, be specified and to withdraw such recognition;
 - (xiii) to develop and maintain twinning arrangement with centers of excellence in modern advanced technology in the developed countries for higher education training and research, including distance education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;
 - (xiv) to co-operate with any other University, authority or association or any public body having purposes and objects similar to those of the University for such purposes as may be agreed upon, on such terms and conditions as may, from time to time, be specified by the University;
 - (xv) to co-operate with other National and International Institutions in the conduct of research and higher education subject to the University Grants Commission Act, 1956 and the regulations made thereunder;
 - (xvi) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;
 - (xvii) to enter into agreement for the incorporation in the University of any institution and for taking over its rights, properties and liabilities and for any other purpose not repugnant to this Act;
 - (xviii) to demand and receive payment of such fees and other charges as may be specified from time to time;
 - (xix) to receive donations and grants, except from parents and students, and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust or endowed property within or outside Himachal Pradesh for the purposes and objects of the University, and to invest funds in such manner as the University thinks fit;

- (xx) to make provisions for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (xxi) to provide for the printing, reproduction and publication of research and other work, including text books, which may be issued by the University;
- (xxii) to accord recognition to institutions and examinations for admission in the University;
- (xxiii) to do all such other things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;
- (xxiv) to frame statutes, ordinances and regulations for carrying out the objects of the University in accordance with the provisions of this Act;
- (xxv) to provide for dual degrees, diplomas or certificates vis-à-vis other Universities on reciprocal basis within and outside the country;
- (xxvi) to make provisions for integrated courses in different disciplines in the educational programmes of the University;
- (xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government; and
- (xxviii) to seek collaboration with other institutions on mutually acceptable terms and conditions.

(2) In pursuit of its objects and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any person, whosoever, on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

6. University to be self-financed.—The University shall be self-financed and it shall not be entitled to receive any grant or other financial assistance from the Government.

7. No power of affiliation.—The University shall have no power to affiliate or otherwise admit to its privileges any other institution.

8. Endowment Fund. —(1) The sponsoring body shall establish an Endowment Fund for the University with an amount of five crore rupees which shall be pledged to the Government.

(2) The Endowment Fund shall be kept as security deposit to ensure strict compliance of the provisions of this Act, rules, regulations, statutes or ordinances made thereunder.

(3) The Government shall have the powers to forfeit, in the prescribed manner, a part or whole of the Endowment Fund in case the University or the sponsoring body contravenes any of the provisions of this Act, rules, statutes, ordinances or regulations made thereunder.

(4) Income from Endowment Fund shall be utilized for the development of infrastructure of the University but shall not be utilized to meet out the recurring expenditure of the University.

(5) The amount of Endowment Fund shall be kept invested, until the dissolution of the University, by way of Fixed Deposit Accounts in any Scheduled Bank subject to the condition that this Fund shall not be withdrawn without the permission of the Government.

9. General Fund.—University shall establish a fund, which shall be called the General Fund to which following shall be credited, namely:-

- (a) fees and other charges received by the University;
- (b) any contribution made by the sponsoring body;
- (c) any income received from consultancy and other works undertaken by the University;
- (d) bequests, donations, except from parents and students, endowments and any other grants; and
- (e) all other sums received by the University.

10. Application of General Fund.—The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely:-

- (a) for the payment of salary and allowances of the employees of the University and members of the teaching and research staff, and for payment of any Provident Fund contributions, gratuity and other benefits to such officers and employees;
- (b) for the expenses to be incurred by the University for services availed including services like electricity, telephone etc.;
- (c) for the payment of taxes or local levies wherever applicable;
- (d) for up keeping of the assets of the University;
- (e) for the payment of debts including interest charges thereto incurred by the University;
- (f) for the payment of travelling and other allowances to the members of the Governing Body, the Board of Management and the Academic Council etc.;
- (g) for the payment of fellowships, freeships, scholarships, assistantships and other awards to students belonging to economically weaker sections of the society or research associates or trainees, as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the statutes, ordinances, regulations or rules made under this Act;
- (h) for the payment of the cost of audit of the funds created under sections 8 and 9 of this Act;
- (i) for the meeting of expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (j) for the purpose of movable and immovable assets;

- (k) for the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder; and
- (l) for the payment of any other expenses as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the University:

Provided that no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without its prior approval:

Provided further that the General Fund shall, for the purpose specified under sub-clause (e), be applied with the prior approval of the Governing Body :

Provided further that no portion of income and property of the University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the University or to any of them or any persons claiming through them; provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the University or for travelling or other allowances and such other charges.

11. Officers of the University.—The following shall be the officers of the University, namely:-

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Registrar;
- (iv) the Chief Finance and Accounts Officer; and
- (v) such other persons in the service of the University as may be declared by the statutes to be the officers of the University.

12. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years, with the approval of the Government in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the statutes.

- (2) The Chancellor shall be the Head of the University.
- (3) The Chancellor shall preside over at the meetings of the Governing Body and convocation of the University for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.
- (4) The Chancellor shall have the following powers, namely:-
 - (a) to call for any information or record;
 - (b) to appoint the Vice-Chancellor;
 - (c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (7) of section 13 of this Act; and

- (d) such other powers as may be specified by the statutes.

13. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, on such terms and conditions as may be specified by statutes, from a panel of three persons recommended by the Governing Body and shall, subject to the provisions contained in sub-section (7), hold office for a term of three years:

Provided that after the expiry of the term of three years, a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that Vice-Chancellor shall continue to hold office even after expiry of his term till new Vice-Chancellor joins, however, in any case, this period shall not exceed one year.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall have the general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of various authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall preside over at the convocation of the University in the absence of the Chancellor.

(4) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

(5) If in the opinion of the Vice-Chancellor, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within fifteen days from the date of decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes or the ordinances.

(7) If at any time upon representation made or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants and if the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interests of the University, the Chancellor may, by an order in writing stating the reasons therein, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

14. The Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Registrar shall have power to enter into agreement, contract, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

(3) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council, but shall not have the right to vote.

15. The Chief Finance and Accounts Officer.—(1) The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions of service as may be specified by the statutes.

(2) The Chief Finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by the statutes.

16. Other officers.—(1) The University may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the University and their powers and functions shall be such as may be specified by the statutes.

17. Authorities of the University.—The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (i) the Governing Body;
- (ii) the Board of Management;
- (iii) the Academic Council; and
- (iv) such other authorities as may be declared by the statutes to be the authorities of the University.

18. The Governing Body.—(1) The Governing Body of the University shall consist of the following, namely:-

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) three persons, nominated by the sponsoring body out of whom two shall be eminent educationists;
- (d) one expert of management or information technology from outside the University, nominated by the Chancellor;
- (e) two persons, nominated by the Government; and
- (f) two members of the State Legislative Assembly, to be elected by the State Legislature.

(2) The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

- (3) The Governing Body shall have the following powers, namely:-
- (a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the University by using all such powers as are provided by this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
 - (b) to review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the statutes, ordinances, regulations or rules made thereunder;
 - (c) to approve the budget and annual report of the University;
 - (d) to lay down the policies to be followed by the University;
 - (e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the University if a situation arises when smooth functioning of the University does not remain possible in spite of all efforts; and
 - (f) such other powers as may be prescribed by the statutes.
- (4) The Governing Body shall meet at least thrice in a calendar year.
- (5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

19. The Board of Management.—(1) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor;
 - (b) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority);
 - (c) two persons, nominated by the sponsoring body from amongst eminent educationists or from management field;
 - (d) two eminent academicians, to be nominated by the Government in consultation with the Regulatory Commission;
 - (e) two persons from amongst the teachers (from Professors, Associate Professors), by rotation based on seniority; and
 - (f) the Registrar shall be the Member-Secretary.
- (2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Board of Management.
- (3) The Board of Management of the University shall be independent of the sponsoring body with full autonomy to perform its academic and administrative functions.
- (4) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be specified by the statutes.
- (5) The Board of Management shall meet at least once in every two months.
- (6) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

20. The Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the Vice-Chancellor and such other members as may be specified by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, and the rules, statutes and ordinances made thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be specified by the statutes.

21. Other authorities.—The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the University shall be such as may be specified by the statutes.

22. Disqualifications.—A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he,-

(a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) has been convicted of any offence involving moral turpitude; or

(d) is conducting or engaging himself in private coaching classes; or

(e) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere.

23. Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University.—No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

24. Filling of casual vacancies.—In case there occurs any casual vacancy in any authority or body of the University, due to death, resignation or removal of a member, the same shall be filled, as early as possible, by the person or body who appoints or nominates the member whose place become vacant and person appointed or nominated to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

25. Committees.—(1) The authorities or officers of the University may constitute committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees.

(2) The constitution of such committees and their duties shall be such as may be specified by the statutes.

26. The first statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act, and the rules made thereunder, the first statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University as may be constituted from time to time;

- (b) the terms and conditions of appointment of the Vice-Chancellor and his powers and functions;
 - (c) the manner of appointment and terms and conditions of service of the Registrar and Chief Finance and Accounts Officer and their powers and functions;
 - (d) the manner of appointment and terms and conditions of service of the employees of the University and their powers and functions;
 - (e) the procedure for arbitration in case of disputes between employees, students and the University;
 - (f) the provisions regarding exemption of students from payment of tuition fee and for awarding to them scholarships and fellowships;
 - (g) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats;
 - (h) provisions regarding fees to be charged from the students; and
 - (i) provisions regarding number of seats in different courses.
- (2) The first statutes shall be made by the Government and published in the Official Gazette and a copy thereof shall be laid before the State Legislative Assembly.

27. The subsequent statutes.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the subsequent statutes of the University may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) creation of new authorities of the University;
 - (b) accounting policy and financial procedure;
 - (c) representation of teachers in the authorities of the University;
 - (d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing department;
 - (e) institution of medals and prizes;
 - (f) creation of posts and procedure for abolition of posts;
 - (g) revision of fees;
 - (h) alteration of the number of seats in different syllabi; and
 - (i) all other matters which under the provisions of this Act are to be specified by the statutes.
- (2) The statutes of the University other than the first statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.
- (3) The Board of Management may, from time to time, make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes so made in the manner hereinafter provided in this section:

Provided that Board of Management shall not make any statute or any amendment of the statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Body.

(4) Every such statute or addition to the statutes or any amendment or repeal of the statutes shall be subject to the approval of the Government:

Provided that no statute shall be made by the Board of Management affecting the discipline of students and standards of instructions, education and examination, except in consultation with the Academic Council.

28. The first ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act, or the rules or statutes made thereunder, the Board of Management may make such first ordinances with the approval of the Governing Body as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (d) the conditions for awarding of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (e) the conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) fees to be charged for the various courses, examinations, degrees and diplomas of the University;
- (g) the conditions of residence of the students in the hostels of the University;
- (h) provision regarding disciplinary action against the students;
- (i) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
- (j) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and institutions of higher education; and
- (k) all other matters which by this Act, or statutes made thereunder are required to be provided by the ordinances.

(2) The Board of Management shall either modify the ordinances incorporating the suggestion of the Governing Body or give reasons for not incorporating any of the suggestions made by the Governing Body and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, to the Governing Body and on receipt of the same, the Governing Body shall consider the comments of the Board of Management and shall approve the ordinances of the University with or without such modifications and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

29. The subsequent ordinances.—(1) All ordinances other than the first ordinances shall be made by the Academic Council which after being approved by the Board of Management shall be submitted to the Governing Body for its approval.

(2) The Academic Council shall either modify the ordinances incorporating the suggestions of the Board of Management and the Governing Body or give reasons for not incorporating the suggestions, and shall return the ordinances alongwith such reasons, if any, the Board of Management and the Governing Body shall consider the comments of the Academic Council and shall approve the ordinances of the University with or without such modification and then the ordinances, as approved by the Governing Body shall come into force.

30. Regulations.—The authorities of the University may, subject to the prior approval of the Board of Management, make regulations, consistent with this Act, the rules, statutes and the ordinances made thereunder, for the conduct of their own business and of the committees appointed by them.

31. Admissions.—(1) Admission in the University shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Merit for admission in the University may be determined either on the basis of marks or grade obtained in the qualifying examination for admission and achievements in co-curricular and extra-curricular activities or on the basis of marks or grade obtained in the entrance test conducted at State level either by an association of the Universities conducting similar courses or by any agency of the State:

Provided that admission in professional and technical courses shall be made only through entrance test.

(3) Seats for admission in the University, for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and handicapped students, shall be reserved as per policy of the State Government.

(4) At least 25% seats for admission to each course shall be reserved for students who are bonafide Himachalis.

(5) The University shall seek prior approval of the Regulatory Commission for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.

32. Fee structure.—(1) The University may, from time to time, prepare and revise, its fee structure and send it to the Government for its approval before 31st December of every preceding academic year alongwith the approval of courses granted by the Regulatory Commission and the Government shall convey the approval within three months from the receipt of the proposal:

Provided that the fee structure for each course shall be decided before the issue of prospectus and shall be reflected in the prospectus:

Provided further that the fee structure shall not be revised or modified during the academic year.

(2) The fee structure prepared by the University shall be considered by a committee to be constituted by the State Government, in the manner as may be prescribed, which shall submit its recommendations to the Government after taking into consideration whether the proposed fee is,-

- (a) sufficient for generating-
 - (i) resources for meeting the recurring expenditure of the University; and

- (ii) the savings required for the further development of the University; and
- (b) not unreasonably excessive.
- (3) After receipt of the recommendations under sub-section (2), if the Government is satisfied, it may approve the fee structure.
- (4) The fee structure approved by the Government under sub-section (3) shall remain valid until next revision.

33. Examinations.—At the beginning of each academic session and in any case not later than 30th of August of every calendar year, the University shall prepare and publish a semester-wise or annual, as the case may be, Schedule of Examinations for each and every course conducted by it and shall strictly adhere to such Schedule:

Provided that if, for any reason whatsoever, University is unable to follow this Schedule, it shall, as soon as practicable, submit a report to the Regulatory Commission giving the detailed reasons for making a departure from the published Schedule of Examination. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

Explanation.—‘Schedule of Examination’ means a table giving details about the time, day and date of the commencement of each paper which is a part of a Scheme of Examinations and shall also include the details about the practical examinations.

34. Declaration of results.—(1) The University shall strive to declare the results of every examination conducted by it within thirty days from the last date of the examination for a particular course and shall in any case declare the results latest within forty-five days from such date:

Provided that if, for any reason whatsoever, the University is unable to finally declare the results of any examination within the period of forty-five days, it shall submit a report incorporating the detailed reasons for such delay to the Regulatory Commission. The Regulatory Commission may, thereon, issue such directions as it may deem fit for better compliance in future.

(2) No examination or the results of an examination shall be held invalid only for the reasons that the University has not followed the Schedule of Examination as stipulated in section 33 and in this section.

35. Convocation.—The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be specified by the statutes for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

36. Accreditation of the University.—The University shall obtain accreditation from the National Council of Assessment and Accreditation (NAAC), Bangalore, as per the guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council from time to time and inform the Government and such other regulating bodies which are connected with the courses taken up by the University about the grade provided by NAAC to the University and the University shall get renewed such accreditation after such period as may be prescribed.

37. University to follow rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies.—Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall be bound to comply with all

the rules, regulations, norms etc. of the regulating bodies and provide all such facilities and assistance to such bodies as are required by them to discharge their duties and carry out their functions.

38. Annual report.—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.

39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report alongwith the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.

(4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.

(5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

40. Powers of the Government to inspect the University.—(1) For the purpose of ascertaining the standards of teaching, examination and research or any other matter relating to the University, the Government or the Regulatory Commission may, cause an assessment to be made in such manner as may be prescribed, by such person or persons as it may deem fit.

(2) The Government or the Regulatory Commission, as the case may be, shall communicate to the University its recommendations in regard to the result of such assessment for corrective action and the University shall take such corrective measures as are necessary so as to ensure the compliance of the recommendations.

(3) If the University fails to comply with the recommendations made under sub-section (2) within a reasonable time, the Government or the Regulatory Commission, as the case may be, may give such directions as it may deem fit which shall be binding on the University.

41. Dissolution of the University by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the University by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the University at least one year in advance:

Provided that dissolution of the University shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body dissolves the University before twenty five years of its establishment, all the assets of the University, including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances.

42. Special powers of the Government in certain circumstances.—(1) If it appears to the Government that the University has contravened any of the provisions of this Act, or the rules, statutes or ordinances made thereunder or has contravened any of the directions issued by it under this Act, or has ceased to carry out any of the undertakings given or a situation of financial mis-management or mal-administration has arisen in the University, it shall issue notice requiring the University to show cause within forty five days as to why an order of its liquidation should not be made.

(2) If the Government, on receipt of reply of the University on the notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a *prima facie* case of contravening all or any of the provisions of this Act, or the rules, statutes or ordinances made thereunder or of contravening directions issued by it under this Act, or of ceasing to carry out the undertaking given or of financial mis-management or mal-administration, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) The Government shall, for the purpose of any enquiry under sub-section (2), appoint an inquiry officer or officers to inquire into any of the allegations and to make report thereon.

(4) The inquiry officer or officers appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;
- (c) requisitioning any public record from any court or office; and
- (d) any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiry officer or officers inquiring under this Act, shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(6) On receipt of the enquiry report from the officer or officers appointed under sub-section(3), if the Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act, or the rules, statutes, or ordinances made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out the undertakings given by it or a situation of financial mis-management and mal-administration has arisen in the University which threatens the academic standard of the University, it shall issue orders for the liquidation of the University and appoint an administrator.

(7) The administrator appointed under sub-section (6) shall have all the powers and be subject to all the duties of the Governing Body and the Board of Management under this Act, and shall administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular

courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(8) After having awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to this effect to the Government.

(9) On receipt of the report under sub-section (8), the Government shall, by notification in the Official Gazette, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances from the date of dissolution.

43. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) matter to be prescribed under clause (d) of sub-section (4) of section 42; and

(b) any other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All the rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making modification in any of such rules or agrees that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

44. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

45. Repeal of Ordinance No. 1 of 2012 and savings.—(1) The APG (Alakh Prakash Goyal) Shimla University Establishment and Regulation Ordinance, 2012, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-45/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 32) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 13

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**-बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (अ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।"

3. **धारा 41 का संशोधन.**-मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात्, किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. **धारा 42 का संशोधन.**-मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विघटन की तारीख से" शब्दों के पश्चात्, किन्तु "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

ACT No. 13 of 2013

THE BAHRA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT ACT, 2012(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 2 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bahra University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Bahra University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (2 of 2011) (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.” .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words “all the assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words “all the assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—42 / 2012—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 31) को

वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के० एस० चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 9

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 31 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 23) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना ।” ।

3. **धारा 41 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “समस्त विल्लंगमों से रहित” शब्दों के पश्चात् किन्तु “सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. **धारा 42 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में “विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे” शब्दों के स्थान पर “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

ACT No. 9 of 2013

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT ACT, 2012(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (23 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.”.

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words “assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words “assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body”, the words “assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—52 / 2012—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05—01—2013 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक

संख्यांक 48) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाए धारा 2 से 6 तक अक्टूबर, 1999 के पांचवें दिवस से प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

2. **धारा 4 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 में “ माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा” शब्दों से पूर्व “ परिवहन या वहन के दौरान,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे और तत्पश्चात् अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जब परिवहन या वहन के दौरान माल के किसी भी प्रभारी व्यक्ति द्वारा कोई कर संदत्त किया जाता है, तो कर का ऐसा संदाय यांत्रिक यान या छकड़े जिसमें या जिस पर माल का परिवहन या वहन किया गया है, के प्रभारी व्यक्ति द्वारा या की ओर से किया गया समझा जाएगा ।” ।

3. **धारा 4-क का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 4-क की उपधारा (1) तथा (2) में “माल के प्रभारी व्यक्ति” शब्दों से पूर्व “परिवहन या वहन के दौरान,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

4. **धारा 5 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (2) में “चालक या, यथास्थिति, माल, यांत्रिक यान या छकड़े का कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति” शब्दों और चिन्हों से पूर्व “ परिवहन या वहन के दौरान” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उपधारा (3) में, “माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “ उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ग) उपधारा (4) में, “माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “ उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(घ) उपधारा (5) में, "माल, यांत्रिक यान या छकड़े का प्रभारी व्यक्ति" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर " उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

5. धारा 9 का प्रतिस्थापन.—“मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“9. संदाय से इन्कार या अपवंचन की दशा में कर की वसूली.—(1) यदि, यथास्थिति, जिले में अधिकारिता रखने वाले कराधायक प्राधिकारी या चैक –पोस्ट अथवा बैरियर के प्रभारी निरीक्षक का समाधान हो जाता है कि यान्त्रिक यान या छकड़े के प्रभारी किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन किया है या ऐसे व्यक्ति ने मांगने पर कर का संदाय नहीं किया है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात् ऐसे माल को वहन करने वाले यांत्रिक यान या छकड़े को ऐसी अवधि के लिए जो कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा और उसे केवल अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा कर का संदाय करने पर या कर की राशि को प्रतिभूत करने हेतु उसके समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देकर या प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित विहित प्ररूप में बन्धपत्र निष्पादित करने पर, जाने देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे माल के निरुद्ध किए जाने के चौबीस घण्टे के भीतर देय कर का संदाय करने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट बन्धपत्र पेश करने में असफल रहता है, तो कराधायक प्राधिकारी या निरीक्षक विहित रीति में माल का विक्रय कारित करवा सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरुद्ध रखे गए यान्त्रिक यान या छकड़े को इस अधिनियम के अधीन केवल संदेय कर के संदाय के पश्चात् ही छोड़ा जाएगा।” ।

6. धारा 15 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि अनुसूची को संशोधित करने की शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी भी माल की बाबत छूट देने की शक्ति नहीं होगी ।” ।

7. विधिमान्यकरण और छूट.—(1) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य में सड़क द्वारा वहन किए गए, कतिपय माल पर किसी कर का (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में “उपर्युक्त कर” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 5 अक्टूबर, 1999 को या उसके पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी समय हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में “ उक्त अधिनियम” कहा गया है) के उपबन्धों के अधीन किया गया या तात्पर्यित कोई निर्धारण, उद्ग्रहण, या संग्रहण या की गई कोई कार्रवाई या बात, उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानो ऐसा निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण अथवा कार्रवाई या बात इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई हो और तदनुसार—

(i) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्धारित, उद्गृहीत या संगृहीत अथवा निर्धारित, उद्गृहीत या संगृहीत करने को तात्पर्यित उपर्युक्त कर, विधि के अनुसार विधिमान्य रूप से निर्धारित, उद्गृहीत या संगृहीत किया गया समझा जाएगा और सदैव समझा जाएगा;

(ii) ऐसे किसी उपर्युक्त कर के जो संगृहीत किया गया है, किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियाँ नहीं होगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिदाय को निदेशित करने वाली किसी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा;

- (iii) उन सभी राशियों की वसूली, यदि कोई हों, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी, जो तदधीन ऐसे उपर्युक्त कर के रूप में संगृहीत की गई होती यदि यह अधिनियम सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता; और
- (iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम या किया गया आदेश, जारी की गई अधिसूचना या दिया गया कोई निर्देश, प्रदान की गई छूट या अधिरोपित की गई शास्ति है) सदैव इस अधिनियम के अनुसार विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।
- (2) शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि—
- (क) उपधारा (1) की किसी बात का किसी व्यक्ति को निम्नलिखित से निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा—
- (i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त कर के निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण को प्रश्नगत करने; या
- (ii) उस द्वारा इस अधिनियम के अधीन उससे देय राशि से अधिक संदत्त किए गए उपर्युक्त कर के प्रतिदाय के दावे से; और
- (ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या त्रुटि, अपराध के रूप में दण्डनीय नहीं होगी, जो इस प्रकार दण्डनीय न होती, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।” ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) SECOND AMENDMENT ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999(Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Amendment Act, 2012.

(2) Save as otherwise provided in this Act, sections 2 to 6 shall be deemed to have come into force on 5th day of October, 1999.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried By Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for the words

and signs “person-in-charge of the goods, as the case may be” the words and signs “person-in-charge of the goods during transport or carriage” shall be substituted and thereafter at the end, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.—For the purpose of this Act, when any tax is paid by any person-in-charge of the goods during transport or carriage, such payment of tax shall be deemed to have been made by and on behalf of the person-in-charge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are transported or carried.”.

3. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the principal Act, in sub-sections (1) and (2), for the words and signs “ person-in-charge of the goods, as the case may be”., wherever these occur, the words and signs “person-in-charge of the goods during transport or carriage” shall be substituted.

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (2), after the words and signs “or any other person-in-charge of the goods,”, the words and sign “during transport or carriage,” shall be inserted.;
- (b) in sub-section (3), for the words and the signs “ person-in-charge of the goods, mechanical vehicle, or cart”, the words, sign, brackets and figure “person specified in sub-section (2)” shall be substituted.;
- (c) in sub-section (4), for the words and signs “person-in-charge of the goods or mechanical vehicle or cart”, the words, sign, brackets and figures “person specified in sub-section (2)” shall be substituted.;
- (d) in sub-section (5), for the words and signs “person-in-charge of the goods, mechanical vehicle or cart”, the words, sign, brackets and figure “person specified in sub-section (2)” shall be substituted.

5. Substitution of section 9.—For section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“9. Recovery of tax in case of refusal to pay or evasion.- (1) If the taxing authority having jurisdiction in the district or Inspector-in-charge of the check-post or barrier, as the case may be, is satisfied that any person-in-charge of the mechanical vehicle or cart has evaded payment of tax due under this Act, or such person has not made the payment of tax on demand, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person; order detention of the mechanical vehicle or cart carrying such goods for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to proceed, only on the person specified in section 4 of the Act, making payment of the tax or furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of tax, in the prescribed form.

(2) In case the person specified in sub-section (1) fails to pay the tax due or furnish a bond referred to in sub-section (1) within 24 hours of the detention of such goods, the taxing authority or the Inspector-in-charge may cause the goods to be sold in prescribed manner.

(3) The mechanical vehicle or cart detained under sub-section (1) shall be released only after payment of the tax payable under this Act.”.

6. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in sub-section (1), after the proviso, the following second proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the power to amend the Schedule shall not include power to grant exemption to any person in respect of any of the goods specified in Schedule-I.”.

7. Validation and exemption.—(1) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary, any assessment, levy or collection of any tax, on certain goods carried by road within the State (hereinafter in this section referred to as “aforesaid tax”), made or purporting to have been made or any action taken or anything done under the provisions of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) (hereinafter in this section referred to as “the said Act”), at any time, on or after the 5th day of October, 1999 but before the commencement of this Act, shall be deemed to be as valid and effective as if such assessment, levy or collection or action or thing had been made, taken or done under the provisions of this Act and accordingly-

- (i) the aforesaid tax assessed, levied or collected or purporting to have been assessed, levied or collected under the provisions of the said Act before the commencement of this Act shall be deemed to be and always deemed to have been validly assessed, levied or collected in accordance with law;
 - (ii) no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of, and no enforcement shall be made by any court or authority, or any decree or order directing the refund of any such aforesaid tax which has been collected;
 - (iii) recoveries, if any, shall be made in accordance with the provisions of the said Act of all amounts which would have been collected thereunder as such aforesaid tax as if this Act had been in force at all material times; and
 - (iv) anything done or any action taken (including any rule or order made, notification issued or direction given or exemption granted or penalty imposed) under the said Act before the commencement of this Act shall be deemed always to have been validly done, taken or made in accordance with this Act.
- (2) For the removal of doubts, it is hereby declared that –
- (a) nothing in sub-section(1) shall be construed as preventing any person-
 - (i) from questioning, in accordance with the provisions of this Act, the assessment, levy or collection of the aforesaid tax; or
 - (ii) from claiming refund of the aforesaid tax paid by him in excess of the amount due from him under this Act; and
 - (b) no act or omission on the part of any person, before the commencement of this Act, shall be punishable as an offence which would not have been so punishable as if this Act had not come into force.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-46/2012-लेज.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 37) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 12

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 29 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.—श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) विश्वविद्यालय को, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।” ।

3. धारा 41 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “विघटित कर देता है, तो” शब्दों और चिन्ह के पश्चात्, किन्तु “विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 42 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में “विघटन की तारीख से” शब्दों के पश्चात्, किन्तु “विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

**THE SRI SAI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
SECOND AMENDMENT ACT, 2012**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 3 of 2011).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of September, 2010.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the SRI SAI University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (3 of 2011) (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.” .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in proviso, after the words “all the assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words “all the assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

—
विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—48/2012—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 36) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 14 मई, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**—करिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना ।” ।

3. **धारा 41 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “विघटित कर देता है, तो “शब्दों और चिन्ह के पश्चात्, किन्तु “विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. **धारा 42 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में “विघटन की तारीख से” शब्दों के पश्चात् और “विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2013

THE CAREER POINT UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2012

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

to amend the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (Act No. 12 of 2012).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Career Point University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of May, 2012.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Career Point University (Establishment and Regulation) Act, 2012 (12 of 2012) (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.” .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words “assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), after the words “all the assets of the University,” the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 14 जनवरी, 2013

संख्या एल0एल0आर0—डी0(6)—38/2012—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-01-2013 को अनुमोदित ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 42) को वर्ष 2013 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करती हैं ।

आदेश द्वारा,
के0 एस0 चन्देल,
सचिव (विधि) ।

2013 का अधिनियम संख्यांक 7

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 5 जनवरी, 2013 को यथाअनुमोदित)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 29 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. धारा 3 का संशोधन.—ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड(ट)अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना ।” ।

3. धारा 41 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में “विघटित कर देता है, तो” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु “विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ” शब्दों से पूर्व “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 42 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में “विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे” शब्दों के स्थान पर “विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 2013

**THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
SECOND AMENDMENT ACT, 2012**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH JANUARY, 2013)

AN

ACT

further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29th day of April, 2008.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (hereinafter referred to as the “principal Act”), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:—

“(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.” .

3. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words “assets of the University”, the words “including assets of the sponsoring body pertaining to the University” shall be inserted.

4. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words “assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body”, the words “assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances” shall be substituted.

ब अदालत अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री विवेक सिंह पुत्र श्री बचित्र सिंह, निवासी ग्राम बैहली, डा0 खिल्लयां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (3) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इशतहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री विवेक सिंह पुत्र श्री बचित्र सिंह, निवासी ग्राम बैहली, डा0 खिल्लयां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 14-10-2012 को श्रीमती कोमल देवी पुत्री श्री प्यारा सिंह, निवासी ग्राम चांदपुर, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है परन्तु प्रार्थी इस शादी का इन्द्राज कार्यालय ग्राम पंचायत मस्तानपुर में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री विवेक सिंह पुत्र श्री बचित्र सिंह, निवासी ग्राम बैहली, डा0 खिल्लयां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश व श्रीमती कोमल देवी पुत्री श्री प्यारा सिंह, निवासी ग्राम चांदपुर, तहसील आनंदपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) की शादी कार्यालय ग्राम पंचायत मस्तानपुर में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-1-2013 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 18-1-2013 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-1-2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त पंजीकार विवाह (उप-मण्डल दण्डाधिकारी),
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।